न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 120/2022

उनवान

उगमा पुत्र पन्ना जाति भांबी नि. ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. पप्पू पुत्र काना
2. मुकेश पुत्र पप्पू
3. बालकिशन पुत्र पप्पू, जाति जाचक निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :— दिनांक :— 10/9/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 39/34 किता 5 रकबा 0.26 की आराजी वादी की खातेदारी की है उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु वादी की खातेदारी आज हडपने की नियत से प्रतिबादी संख्या 1 से 3 ने दिनांक 15.06.22 को एकराय होकर जेसीबी चलाकर वादी की खातेदारी आराजी पर नुकसान कारित कर दिया। प्रतिवादी को वादी की आराजी पर दखलदांजी करने का कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 39/34 किता 5 रकबा 0.26 की आराजी वादी की एकल खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार निहित नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी करने का कोई विधिक अधिकार नही है। उनके द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर बिना किसी कारण के दखलदांजी की जाती है तो वादी के हित प्रभावित होते है। आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 39/34 किता 5 रकबा 0.26 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

उगमा बनाम पप्पू

दावा बावत :— 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 120/2022
पेश करने की दिनांक — 12.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक मुददई सीताराम रावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम भवानीखेडा के हाल खाता संख्या 39/34 किता 5 रकबा 0.26 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:50 IST
Reason: SelfAttested